

## कार्यालय झाप

प्रशासनिक सुधार अनु0-2, उ21 शासन के पत्र दिनांक 0प्र0-09-2017 के अनुसार सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकरण में आवेदकों से प्रार्थना पत्र प्राप्त करने व सूचना प्रदान करने हेतु जन सूचना अधिकारी तथा अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत प्रथम अपील की सुनवाई हेतु प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को नामित किए जाने का प्राविधान है।

2- सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्रदान करने हेतु पूर्व आदेशों को अतिक्रमित करते हुए यातायात निदेशालय के अधिकारियों को निम्नवत जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपील की सुनवाई हेतु प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया जाता है-

(1) जन सूचना अधिकारी

श्री बलवन्त कुमार चौधरी,  
अपर पुलिस अधीक्षक,  
यातायात निदेशालय, उ0प्र0  
लखनऊ।

(2) प्रथम अपीलीय अधिकारी

श्री मो0 नेजाम हसन,  
पुलिस अधीक्षक/उपनिदेशक यातायात,  
यातायात निदेशालय, उ0प्र0  
लखनऊ।

3- उपरोक्त नामित जनसूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त किये जाने हेतु विकसित वेब पोर्टल को संचालित करने हेतु समन्वय/नोडल जनसूचना अधिकारी तथा उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग में लम्बित द्वितीय अपीलों/शिकायतों की ऑनलाइन सुनवाई किए जाने हेतु पक्षकार/जनसूचना अधिकारी का कार्य भी करेंगे।

(अशोक कुमार सिंह)

अपर पुलिस महानिदेशक/निदेशक, यातायात  
उ0प्र0 लखनऊ।

## **यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश**

उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय भवन(सिग्नेचर बिल्डिंग),  
चतुर्थ तल, टावर-4, गोमतीनगर लखनऊ. पिन कोड- 226027

फोन- 0522 2390468, 9454402555, फैक्स-  
0522 2724054, ई मेल- dirtraffic@nic.in

पत्र संख्या:-डीटी-2-854-2017/1252

दिनांक: लखनऊ: जुलाई 13, 2020

- 1- प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-
  - (1) पुलिस महानिरीक्षक, यातायात, उ0प्र0 लखनऊ।
  - (2) पुलिस अधीक्षक/उप निदेशक, यातायात, उ0प्र0 लखनऊ।
  - (3) अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- ✓ प्रतिलिपि आई0टी0सेल, यातायात निदेशालय को इस आशय से कि उक्त विवरण विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 3- प्रतिलिपि प्रभारी डिस्पैच, यातायात निदेशालय को इस आशय से कि उक्तानुसार निदेशालय में लगे नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने कराना सुनिश्चित करें।